

177
53

201

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
सर्किट कोर्ट रीवा, (म.प्र.)

30.6.14



RS. 20/-

R-2381- III/14

गणेश सिंह तनय ~~अम~~ गोविन्द सिंह, निवासी ग्राम बोदा, तह. हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)
..... निगरानीकर्ता

बनाम

1. सत्यवती पाण्डेय पत्नी श्री बृजमोहन पाण्डेय,
2. बाल्मीक प्रसाद तनय शिवप्रसाद चतुर्वेदी,
दोनो निवासी ग्राम बोदा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)
3. शासन मध्यप्रदेश।

..... गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार, तहसील हुजूर,
जिला रीवा, (म.प्र.) के प्रकरण क्र. 116/अ-12/
2012-13 आदेश दिनांक 07.06.2013
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व
संहिता 1959 ईस्वी।

श्री. रविशंकर सिंह
द्वारा प्रस्तुत दिनांक 30.6.14
कमांक 2384
दिनांक 25.7.14
राजस्व मण्डल ज. प्र. प्राम्थिक, धर

निगरानी के आधार निम्नवत् हैं :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही विधि एवं प्रक्रिया तथा वाक्यातों एवं सहज न्यायिक सद्दांतों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है अर्थात काबिले निरस्तगी हैं।

25/7/14
30/6/14

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक.....R2381-III/14..... जिला.....रीवा.....

.....गणेश सिंह..... विरुद्ध.....सदरवही चाण्डेय.....

1	2	3
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री.....<u>रविन्द्र सिंह</u>..... अधिवक्ता द्वारा यह नम्बर तहसीलदार तहसील.....<u>हुजूर</u>..... के प्रकरण क्रमांक.....<u>116/2012/12-13</u>..... में पारित आदेश दिनांक.....<u>07-06-2013</u>..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर.....<u>रीवा</u>..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>28-3-19</u>..... को कलेक्टर.....<u>रीवा</u>..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	

Handwritten notes:
R
R2381/14

Signature
सदस्य

अर्थात् काबिले निरस्तगी हैं।

..... का स्थर रखे जाने योग्य नहीं है

Signature
08/6/14